भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5100
02.04.2025 को उत्तर देने के लिए

वर्तमान सांसद को कार्य एवं निधि का हस्तांतरण

5100. श्री हमदुल्ला सईदः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पूर्ववर्ती सांसद से उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के वर्तमान सांसद को कार्यों एवं निधियों का हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) क्या नए परिसीमन के मामले में कार्यों एवं निधि के हस्तांतरण के संबंध में विशिष्ट आदेश जारी किए गए हैं और यदि हां, तो तत् संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ई-साक्षी पोर्टल पर 18वीं लोक सभा के वर्तमान सांसद के खाते में शेष अप्रयुक्त राशि हस्तांतरित करने में देरी हो रही है और यदि हां, तो ऐसी देरी के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा अप्रयुक्त शेष राशि का समय पर हस्तांतरण सुनिश्चित करने और 17वीं लोक सभा से 18वीं लोक सभा में कार्यों का सुचारू हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) और (ख) लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के संबंध में, एमपीलैड्स निधि की शेष राशि जिसका पूर्ववर्ती संसद सदस्य के कार्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया है, उस निर्वाचन क्षेत्र के उत्तरवर्ती सांसद को हस्तांतरित की जाएगी। [एमपीलैड्स दिशानिर्देशों का पैरा 10.5.1]

(ग) और (घ) ई-साक्षी पोर्टल पर 18वीं लोकसभा के वर्तमान संसद सदस्य (एमपी) के खाते में अप्रयुक्त शेष राशि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 10.5.1 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत होती है। यह हस्तांतरण संबंधित नोडल जिला प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करने के अधीन है।

*****